संख्या–496 /59–2–2010–19(खा)/09

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2012

विषयः– उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों की व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना (आयोजनेत्तर) हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 की धारा–28(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों/उद्यमियों को वित्तपोषण से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु शासनादेश संख्या– 248/59–2012–19(खा)/2009 दिनांक 17 मई, 2012 के अनुक्रम में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रुपये 40.00 लाख (रुपये चालीस लाख मात्र) में से अवशेष माहों के लिए शेष धनराशि रु0 27.00 लाख (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फांट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय बोर्ड के अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशों तथा समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का मासिक व्यय प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा प्रपत्र बी0एम0–8 में दो प्रतियों में शासन व सचिव, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

5. उक्त धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कन्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

6. उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 की अनुदान संख्या–5 के लेखा शीर्षक ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–105–खादी ग्रामोद्योग–11–खादी बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों का व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन)'' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1– 1515 /दस–2012–231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में की गयी व्यवस्थानुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या–496(1) /59–2–2010–19(खा)/09/तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/प्रभारी, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बहराइच, इलाहाबाद, जालौन, शाहजहॉपुर, मथुरा, बिजनौर।
8. एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 496/59–2–2012–19(खा)/2009 दिनांक 28 अगस्त, 2012 का संलग्नक

व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना (आयोजनेत्तर) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वित्तीय स्वीकृति

क्रमांक	केन्द्र का नाम व पता	धनराशि (लाख रुपये में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	4.00	100
2	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	3.00	75
3	मण्डलीयं प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़	2.00	50
4	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ	1.00	25
5	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	2.00	50
6	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अनुआं, इलाहाबाद	4.00	100
7	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	3.00	75
8	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहाँपुर	3.00	75
9	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	2.00	50
10	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	3.00	75
	योग	**27.00**	**675**

(रूपये सत्ताईस लाख मात्र)

(आर०डी० कल्याण)
अनु सचिव